राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः–F-109(12)/SIHFW/MH-Recruit/OA/2023/1706

दिनांकः– 03/03/2024

नेत्र सहायक पद हेतु दिनांक 01.10.2023 को जारी अन्तरिम वरीयता सूची पर प्राप्त ऑनलाईन परिवेदनाओं का निस्तारण

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा नेत्र सहायक के कुल 117 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 01.10.2023 को जारी अंतरिम वरीयता सूची पर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवेदनाओं पर दिनांक 27.02.2024 को निर्णय की पालना में लिए गए निर्णय का विवरण निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है:–

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	आईडी	परिवेदना का विवरण	वस्तुस्थितिपूरक टिप्पणी	लिया गया निर्णय
1	संयोगिता शर्मा	OAN100812	स्वयं के प्रतिशत प्राप्तांक 52.805 बताते हुए अंतरिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने के संदर्भ में।	अभ्यर्थिया के 12वीं में 324 अंक 500 में से हैं (64.8 प्रतिशत) व डिप्लोमा में कुल 345 अंक 600 में से हैं (57.5 प्रतिशत)। तदनुसार अकादमिक व व्यावसायिक योग्यता के अंकों के औसत प्रतिशत का 70 प्रतिशत 42.805 होता है। अभ्यर्थी का अनुभव निजी क्षेत्र का होने से अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः ओबीसी नॉनक्रीमीलेयर श्रेणी में अंतिम चयनित महिला अभ्यर्थी (52.220 प्रतिशत) से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही है।	परिवेदना खारिज
2	संपत निमागाढा	OAT101212	ट्रेनिंग के दौरान किये गये कोविड कार्य को अनुभव में शामिल कराने बाबत। जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का है।	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम (यथा संशोधित) 1965 के नियम 19 के अनुसार केवल राज्य सरकारी के अधीन निर्धारित संस्थानों पर समान कार्य के आधार पर बोनस का लाभ देय है। अभ्यर्थी श्री संपत निमागाढ़ा ने राष्ट्रीय इस्पात निगम में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो भारत सरकार का उपक्रम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य में अपने निर्णय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अन्य राज्यों में व भारत सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्णय को सही माना है।	परिवेदना खारिज

3	प्रेम रंजन	OAN100920	अभ्यर्थी ने परिवेदना के रूप में अन्तरिम चयन सूची एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न की हैं।	अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 50.878 प्रतिशत है। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन 23.5.23 को हुआ है। अनुभव नहीं है। अभ्यर्थी ओबीसी श्रेणी से है जिसमें अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 50.973 हैं। अतः अभ्यर्थी चयन से वंचित रहा है। अंतिम वरीयता सूची तैयार करते समय मेरिट अनुसार कंसीडर किया जा सकेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वस्तुस्थितिपरक टिप्पणी अनुसार अनुमोदित।
4	जिनांशी गांधी	OAT101227	विज्ञप्ति अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के स्वीकृत सभी 12 पदों पर वरीयता सूची जारी करनें बाबत।	अनुसूचित क्षत्र हेतु 16 पद विज्ञापित किये गये है। जिसमें एसटी टीएसपी के बैकलॉग के 4 पद सम्मिलित है। इसके पश्चात 18 पदों की वृद्धि किए जाने से अनुसूचित क्षेत्र हेतु 18 पदों पर अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी। जिसमें एसटी टीएसपी के 4 बैकलॉग के पद सम्मिलित है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	वस्तुस्थितिपरक टिप्पणी अनुसार अनुमोदित।
5	दीक्षा वर्मा	OAN100964	अभ्यर्थिया की कटऑफ सामान्य महिला वर्ग से अधिक होते हुये भी अंतरिम वरियता सूची में नाम नही दिया गया तथा कारण नही बताया गया, के संबंध में परिवेदना निस्तारण करने बाबत।	अभ्यर्थिया का पूर्व में ही अंतरिम चयन किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण संबंधित राज्य से व्यावसायिक योग्यता के सत्यापन के अध्यधीन परिणाम रोका गया है। व्यावसायिक योग्यता के सत्यापन पश्चात् अंतिम निर्णय लिया जावेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं
6	हिमांशी कुमारी	OAN100776	जातिगत श्रेणी में एमबीसी एनसीएल वर्ग में रिक्त पदों की वृद्धि कर पात्र अभ्यर्थी को सम्मिलित करनें बाबत।	विभाग द्वारा नेत्र सहायक भर्ती 2023 के अन्तर्गत जारी अंतरिम वरियता सूची में जातिवर्गवार रिक्त पदों का आवंटन कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुसार किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवेदना में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज
7	पूजा शर्मा	OAN101354	51.080 अंक होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं किया गया जबकि 51.030 अंक होने पर भी कोमल शर्मा (आई.डी. OAN100867)को सम्मिलित किया गया है।।	नैत्र सहायक भर्ती 2023 के अन्तर्गत अंतरिम वरियता सूची तैयार करते समय सहवन से अभ्यर्थिया के तृतीय वर्ष के अंक सम्मिलित नही किये गये जिन्हे अब सम्मिलित किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.080 बनते है जिन्हे अंतिम वरियता सूची जारी करने से पूर्व संशोधित कर अभ्यर्थिया को नियमानुसार उक्त संशोधित अंको के साथ भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जावेगा। परिवेदना स्वीकार योग्य है।	परिवेदना स्वीकार्य है।

8	दीपांशी शर्मा	OAN101122	अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं के संबंध में कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर डी.वी हेतु जारी सूची में श्री अरशद अली, सद्दाम हुसैन, मनीषा बाकलीवाल, वेनू, निशा कुमारी, रवि, विरेन्द्र कौर चंचल असरावत एवं कोमल साखला के दस्तावेज सत्यापन पूर्व एवं अंतरिम वरियता सूची जारी करने के पश्चात् कुल प्राप्तांक प्रतिशत में अंतर एवं अरशद अली को ओबीसी एवं सैयद सोहेब अली का ईडब्ल्यूएस दर्शाई गई की गहनता से जॉच के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की गई।	दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को उसके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये प्राप्तांकों व अनुभव के आधार पर आमंत्रित किया गया था जिसमें दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अन्तर आ सकता है जो स्वाभाविक है। अभ्यर्थियों के जातिवर्ग का निर्धारण उनके द्वारा आवेदन में भरे गये जातिवर्ग एवं राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय किया जाता है। इस प्रकार श्री अरशद अली एवं श्री सैयद सोहेब अली द्वारा क्रमशः ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर स्वयं द्वारा भरे गये जातिवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न)	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं
9	तमन्ना अहीर	OAN101259	अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नही होने का कारण स्पष्ट कराये जाने बाबत।	अभ्यर्थिया का पूर्व में ही अंतरिम चयन किया जा चुका है किन्तु अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण संबंधित राज्य से व्यावसायिक योग्यता के सत्यापन के अध्यधीन परिणाम रोका गया है। व्यावसायिक योग्यता के सत्यापन पश्चात् अंतिम निर्णय लिया जावेगा।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं
10	दिनेश कुमार सैनी	OAN101032	अभ्यर्थी का चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन किया गया है, के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी उपलब्ध कराये जाने बाबत।	नेत्र सहायक भर्ती 2023 के अन्तर्गत जारी अंतरिम वरियता सूची में अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन चयनित अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन कराया जाना प्रक्रियाधीन है। इस हेतु अभ्यर्थी से किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित नही है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं
11	सतवीर सिंह	OAN101342	अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नही होने का कारण स्पष्ट कराये जाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.902 बन रहे है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.973 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज
12	सुरेन्द्र सिंह	OAN101539	अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नही होने का कारण स्पष्ट कराये जाने बाबत।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.125 बन रहे है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.095 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना खारिज

13	अंजली चौधरी	OAN100760	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर एक अन्य अभ्यर्थी विरेन्द्र कौर की कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन से पूर्व एव अंतरिम वरियता सूची जारी होने के पश्चात् अंतर होने के संबंध में अवगत कराते हुये स्वयं का अंतरिम चयन किये जाने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को उसके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये प्राप्तांकों व अनुभव के आधार पर आमंत्रित किया गया था जिसमें दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अन्तर आ सकता है जो स्वाभाविक है। अभ्यर्थी वीरेन्द्र कौर के (अंतरिम वरियता सूची अनुसार 50.973 प्रतिशत) प्रथम वर्ष के प्राप्तांक सहवनवश नहीं जोड़े गये हैं जिसे अंतिम वरीयता सूची जारी करने से पूर्व अभ्यर्थिया को नियमानुसार उक्त संशोधित 50.44 अंकों के साथ मेरिट में यथा स्थान सम्मिलित कर लिया जावेगा।	वस्तुस्थितिपरक टिप्पणी अनुसार अनुमोदित।
14	पूजा शर्मा	OAN101354	51.080 अंक होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं किया गया जबकि 51.030 अंक होने पर भी कोमल शर्मा (आई.डी. OAN100867) को सम्मिलित किया गया है।।	उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 07 पर स्पष्ट किया जा चुका है। नैत्र सहायक भर्ती 2023 के अन्तर्गत अंतरिम वरियता सूची तैयार करते समय सहवन से अभ्यर्थिया के तृतीय वर्ष के अंक सम्मिलित नही किये गये जिन्हे अब सम्मिलित किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.080 बनते है जिन्हे अंतिम वरियता सूची जारी करने से पूर्व संशोधित कर अभ्यर्थिया को नियमानुसार उक्त संशोधित अंको के साथ भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जावेगा। परिवेदना स्वीकार योग्य है।	डुप्लीकेट एंट्री
15	गोविन्द सिंह राणावत	OAN100252	अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नही होने का कारण स्पष्ट कराये जाने बाबत।	नेत्र सहायक भर्ती 2023 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति में नैत्र सहायक की योग्यता के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण भर्ती में आवेदन करने की तिथि अथवा उससे पूर्व नही होने के कारण अभ्यर्थी नैत्र सहायक भर्ती 2023 में पात्रता की श्रेणी में नही आता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज
16	कुलदीप रैदास	OAN101333	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ कोई प्रार्थना पत्र अथवा कोई दस्तावेज संलग्न नही किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नही की गई है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.94 बनते है एवं अभ्यर्थी के जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.259 से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं

17	शरद कुमार शर्मा	OAN101375	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंकितानुसार बताते हुये स्वयं को कटऑफ से उपर मानते हुये अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को उसके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये प्राप्तांकों व अनुभव के आधार पर आमंत्रित किया गया था जिसे दस्तावेज सत्यापन उपरान्त दस्तावेजों के आधार पर दुरूस्त किया गया है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.596 बनते है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.095 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज
18	सोहेल शेख	OAN101477	अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नही होने का कारण स्पष्ट कराये जाने बाबत्।	उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण दिनांक 16.08.2023 को किया गया है जो कि भर्ती में आवेदन करने की तिथि अथवा उससे पूर्व का नही होने के कारण अभ्यर्थी नैत्र सहायक भर्ती 2023 में पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज
19	कमलेश माली	OAN101200	अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित नही होने का कारण स्पष्ट कराये जाने बाबत्।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.079 बन रहे है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.973 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नही किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज
20	हिमांशु शर्मा	OAN101275	कोविड–19 का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुए बोनस देने के संदर्भ में।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपने अनुभव प्रमाण पत्रांक 623 दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अभ्यर्थी को 665 दिवस का ई.एम.टी. पद का अनुभव जारी किया गया जिसके उपरोक्त पद पर संपादित कार्य एम्बुलेन्स में नर्सिंग स्टाफ का बताया गया है। विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नैत्र सहायक भर्ती 2023 के अन्तर्गत बोनस अंकों का लाभ विज्ञापित पद के समान कार्य होने पर ही दिया जावेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी का कार्य नैत्र सहायक पद के समान नही होने के कारण बोनस अंको का लाभ नही दिया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नही है।	परिवेदना खारिज

21	विष्णु शर्मा	OAN101428	विभाग द्वारा आरम्भ में 99 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसे बढाकर 117 कर दिया गया है, जिसका श्रेणीवार वर्गीकरण नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि किस श्रेणी में कितने पदों हेतु चयन प्रकिया की जा रही है। पुनः विज्ञप्ति क्यों जारी नहीं की गई? 2– ईडब्लूएस श्रेणी में किसी भी पुरूष का चयन नहीं किया गया । पुरूष के स्थान को भी महिला द्वारा ही भरा गया है। क्यों ? 3– इडब्लूएस श्रेणी में महिला की कटआफ 52.214 रखी गई है तथा ईडब्लूएस सामान्य 51. 030 रखी गई है उक्त के बावजूद ईडब्लूएस सामान्य श्रेणी में महिला के ईडब्लूएस महिला कटआफ से कम अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें उक्त पद पर चयनित किया गया है। 4– कुल 117 पदाकें के विरूद्ध 112 का चयन किया गया है शेष 5 पदों को किस कारण खाली रखा गया । 5–13 दस्तावेज सत्यापन सूची में अरशद अली, सद्दाम हुसैन, मनीषा बाकलीवाल, वेनूप्रसाद सैनी, निशा कुमारी, रवि पटेल, वीरेन्द्र कौर, चंचल सारस्वत एवं कोमल सांखला के प्रतिशत प्राप्तांक एवं प्रोवीजनल सूची के प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर क्यों है?	1–पूर्व में जारी विज्ञप्ति 2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि पदों की संख्या मे कमी अथवा बढ़ौतरी की जा सकती है। अतः इसके लिये पुनः विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अन्तिम चयन सूची के समय श्रेणीवार पदों की संख्या का विवरण प्रकाशित किया जायेगा। 2– ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के प्रतिशत प्राप्तांक पुरूष अभ्यर्थियों से अधिक होने के कारण ईडब्लूएस सामान्य वर्ग के पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 3– अंतिम चयनित महिला अभ्यर्थी के प्राप्तांक 50.030 इस श्रेणी में पुरूष अभ्यर्थियों से अधिक होने के कारण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 4– गैर अनुसूचित क्षेत्र में 102 अभ्यर्थियों का चयन एवं 2 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है अनुसूचित क्षेत्र में 10 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है एवं 3 पदों हेतु योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति में बैकलॉग है। 5–13–दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को उसके स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये प्राप्तांकों व अनुभव के आधार पर आमंत्रित किया गया था जिसमें दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अन्तर आ सकता है जो स्वाभाविक है।	वस्तुस्थितिपरक टिप्पणी अनुसार अनुमोदित।

03/03/24

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर